न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–02 सन् 2019

सुकेश्वर सिंह.....वादी।

बनाम

अखिलेश्वर सिंह वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 18.07.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 06 नियम 17 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 01.09.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी ने उक्त वाद बंटवारा हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादी सं0 02 मनीभूषण कुमार जो इस वाद में पक्षकार है एवं उपस्थित होकर द्वारा गार्जीयन अपना बयान तहरीरी दाखिल कर चुका है। प्रतिवादी सं0 02 वादी की वाद के निष्फल एवं अर्थहीन करने की नियत से बार–बार बैनामा इस वाद के विवादित जमीन के निस्वत करते चल जा रहे हैं ताकि मुकदमा लंबा खिंचता रहे। इसी नियत से पुनः कुछ लोगों के हाथों इस वाद के प्रतिवादी सं0 02 जमीन का बिक्री कर दिए हैं जिससे इस वाद में पक्षकार बनाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। इस वाद में निषेधाज्ञा आदेश भी प्रतिवादी के खिलाफ पारित है परंतु उक्त आदेश की प्रति न्यायालय द्वारा संबंधित निबंधन पदाधिकारी को नहीं जाने के कारण वह रोक नहीं लगा रहे हैं। अतएव निषेधाज्ञा आदेश की एक प्रति अवर निबंधक पदाधिकारी, सोनपुर एवं निबंधन पदाधिकारी छपरा को भेजना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन है कि आवेदन में लिखित नाम वो पता वाले व्यक्तियों को प्रतिवादी खाने में जोड़ते हुए प्रतिवादी सं0 23 से 27 बनाने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि न्याय हो सके।

प्रतिवादी सं0 01 ता 05 की ओर से वादी के उपरोक्त आवेदन पर नो ऑब्जेक्श लिखा गया है तथा उनके ओर से कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी आवेदन में लिखित व्यक्तियों को प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनाने हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी सं0 02

वादी की वाद के निष्फल एवं अर्थहीन करने की नियत से बार–बार बैनामा इस वाद के विवादित जमीन के निस्वत करते चल जा रहे हैं ताकि मुकदमा लंबा खिंचता रहे। इसी नियत से पुनः कुछ लोगों के हाथों इस वाद के प्रतिवादी सं0 02 जमीन का बिक्री कर दिए हैं जिसे इस वाद में पक्षकार बनाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। इस वाद में निषेधाज्ञा आदेश भी प्रतिवादी के खिलाफ पारित है परंतु उक्त आदेश की प्रति न्यायालय द्वारा संबंधित निबंधन पदाधिकारी को नहीं जाने के कारण वह रोक नहीं लगा रहे हैं। अतएव निषेधाज्ञा आदेश की एक प्रति अवर निबंधक पदाधिकारी, सोनपुर एवं निबंधन पदाधिकारी छपरा को भेजना न्यायहित में आवश्यक हो गया है। ऐसी परिस्थिति में आवेदन में लिखित व्यक्तियों को प्रतिवादी के खाने में पक्षकार बनाना तथा निषेधाज्ञा आदेश की प्रति अवर निबंधक पदाधिकारी, सोनपुर एवं निबंधन पदाधिकारी छपरा को भेजना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है तथा आवेदन में लिखित बैदारों को प्रतिवादी के खाने में प्रतिवादी सं0 23 ता 27 बनाना वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 01.09.2022 को 500/–रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि नजारत (बिहार सरकार) में जमा करें।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।